



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ



सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा वर्ष 2019-20 का द्रू-अप, वर्ष 2020-21 का ए०पी०आर० एवं वर्ष 2021-22 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका दिनांक 22.02.2021 को मा० आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा० आयोग ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली हैं। मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2019-20	2020-21	2021-22
		द्रू-अप	ए०पी०आर०	ए०आर०आर०
1	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	20,891.42	22,388.04	22,791.83
2	ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	18,426.23	18,212.67	18,894.43
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	11.80%	11.51%	11.04%
	वास्तविक / प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	19.37%	18.65%	17.10%
4	इन्द्रा स्टेट पारेषण हानियाँ (%)	3.43%	3.40%	3.33%
	व्यय (रू० करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी०जी०सी०आई०एल० सम्मिलित)	11,591.17	11,139.26	12,332.41
6	ट्रांसमिशन चार्ज (यू०पी०पी०टी०सी०एल०)	675.57	532.84	542.45
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	2,291.58	1,669.42	1,956.07
8	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	615.76	577.17	605.99
9	ह्रास	176.79	316.71	453.07
10	बैंड एवं डायरेक्ट फुल डेब्ट्स	134.22	264.73	290.45
11	सकल खर्च	15,485.09	14,500.12	16,180.44
12	रिटर्न ऑन इक्विटी	301.47	420.88	550.11
13	घटायें: अन्य आय	158.25	34.73	34.73
14	घटायें: ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व	-	-	-
15	सकल राजस्व आवश्यकता	15,628.30	14,886.27	16,695.82
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	11,905.54	11,155.70	12,441.64
17	राजकीय सहायिकी	1,886.38	1,473.37	2,365.16
18	राजस्व (अन्तर)/ अतिरिक्त (वर्तमान टैरिफ पर)	(1,836.38)	(2,257.20)	(1,889.02)
19	ऊर्जा क्रय दर (बसवार पर) (रू०/यूनिट)	4.25	4.37	4.60
20	औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी०एस०टी०) (रू०/यूनिट)	4.89	4.99	5.41
21	डी०बी०एस०टी० दर (रू०/यूनिट)		4.98	5.41
22	औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रू०/यूनिट)	6.46	6.13	6.58
23	औसत विद्युत लागत (रू०/यूनिट)	8.48	8.17	8.84
24	व्हीलिंग चार्ज (रू०/यूनिट)			1.32

लाइसेन्सी द्वारा मा० आयोग से उ०प्र० शासन के पत्रांक 445/24.1.21/731(बजट)/2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2019-20 के द्रू-अप एवं वर्ष 2021-22 की ए०आर०आर० को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलॉअसेस के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा० आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट-शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रॉस सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा० आयोग द्वारा क्रॉस सब्सिडी का रोड-मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। तदनुसार मा० आयोग द्वारा क्रॉस सब्सिडी के अनुमोदित रोड-मैप के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है।

द्रू-अप, ए०पी०आर० एवं ए०आर०आर० याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसेन्सी नोट एवं कार्यवृत्त दिनांक 01.04.2021 के प्रत्युत्तर के साथ, निगम की वेबसाईट (www.mvnl.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टैक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञापितधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ-226001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 77/प्र०नि०/जन०स०अधि०/विज्ञापन

दिनांक 12.04.2021

राष्ट्र हित में बिजली बचायें।